संख्या-1410/दस-2-2006-12(45)/2005 टी0सी0

प्रेषक,

बी0पी0 गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तरांचल, देहरादून

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2006

विषयः- अनुदान सं0-27 में राज्य सेक्टर - आयोजनागत पूँजीगत पक्ष में "वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सं. 753/8-1(भवन), दिनांक 11 मार्च, 2006 तथा महाप्रबंधक, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर नई दिल्ली के पत्रांक NRO/PMD/537/001, दिनांक 13 मार्च, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की "वन विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण" योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-311/दस-2-2006-12(45)/2005 टी0सी0, दिनांक 30 जनवरी, 2006 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1,22,10,000 के अतिरिक्त रू0 8,22,00,000/- (रू0 आठ करोड़ बाईस लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चिन्हित भारत सरकार के उपक्रम इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड (ई.पी.आई.), नई दिल्ली को अवमुक्त की जायेगी.
2. धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्यों पर टी.ए.सी. से आगणनों का परीक्षण कराकर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ही किया जायेगा.
3. योजना पर आने वाला व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
5. क्षेत्र की योजनाओं के शाखेवार आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
6. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
8. अवमुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

क्रमशः.....2

2. उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान सं0-27 के लेखा शीर्षक-4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 101-वन संरक्षण और विकास 04-वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण की मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाली जायेगी।

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-588/XXVII(4)/2006, दिनांक 28 मार्च, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्या-1410(1)/दस-2-2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तरांचल शासन, देहरादून
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल
11. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून
13. गार्ड फाइल (ओ)।

(श्याम सिंह)
अनु सचिव